न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 113/2021 जिला–नागौर

1. बजरंगलाल
2. श्योपाल राम

पुत्रगण अर्जुनराम जाति जाट निवासी राजलिया तहसील नांवा जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा जिला नागौर।
2. कुम्भाराम पुत्र भोमाराम
3. नन्दाराम पुत्र भोमाराम
4. प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम
5. प्रहलादराम पुत्र अर्जुनराम
6. रूपाराम पुत्र भोमाराम
7. श्योकरणराम पुत्र अर्जुनराम
8. शिवनारायण पुत्र भोमाराम
9. छीतरराम पुत्र नवलाराम
10. बुधाराम पुत्र परसाराम
11. सुजाराम पुत्र परसाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण राजलिया तहसील नांवा जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नांवा दिनांक 31–3–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 62/2021 बउनवान
राज सरकार बनाम कुम्भाराम व अन्य

————

उपस्थित–
1. श्री अजयपाल डिढ़ारिया अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 6, 8, 10 व 11
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः— 01—06—2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार, नांवा द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत ग्राम राजलिया तहसील नांवा के खसरा नम्बर 179 रकबा 1.24 हैक्टर किस्म जाव—3/चाही—3, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म जाव—3/चाही—3, खसरा नम्बर 187 रकबा 1.08 हैक्टर किस्म बारानी—1 भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—3—2021 द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश के पारित कर दिया तथा खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 179 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.18 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 187 रकबा 1.08 हैक्टर ग्राम राजलिया पटवार हलका राजलिया तहसील नांवा जिला नागौर स्थित है उक्त भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियां है। जिन पर उनका निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में से कभी काई रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा और ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू व मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये बिना एकपक्षीय आदेश पटवारी हलका द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर जबरन नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण दर्ज किया और ना ही किसी प्रकार की काई आदेशिका का निर्माण किया गया और ना ही पक्षकारों को कभी कोई नोटिस जारी किये और न ही पक्षकारो को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि पटवारी हलका द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई जिसके लिए कानूनी कार्यवाही माननीय न्यायलय से अपेक्षित है पटवरी हलका की उक्त रिपोर्ट से पूर्व अपीलार्थी को ना तो काई नोटिस

व सूचना दी गई तथा एकतरफा में तैयार मौका रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही उसको साक्ष्य में ही पढ़ा जा सकता है। तहसीलदार अथवा आई.एल. आर से नीचे स्तर के अधिकारी को मौका रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हलका द्वारा किसके कहने पर बनाई तथा किस दिनांक को तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट किन व्यक्तियों की मौजूदगी में बनाई गई कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है साथ ही उक्त रास्ता कितने वर्षो से विवादित आराजियात पर कायम हो रखा है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हलका द्वारा क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर मनमर्जी से अपीलार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ना तो कभी साधारण नोटिस जारी कर तामील करवाए और ना ही कभी रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजकर तामील कराये बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। उक्त कथन के समर्थन मे अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा विभिन्न नजीरों का उल्लेख करते हुए अंकन किया है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 6, 8, 10 व 11 के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम राजलिया तहसील नांवा के खसरा नम्बर 179 रकबा 1.24 हैक्टर किस्म जाव–3/चाही–3, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म जाव–3/चाही–3, खसरा नम्बर 187 रकबा 1.08 हक्टर किस्म बारानी–1 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है तथा प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है लेकिन जमाबंदी में गै0मु0 रास्ता दर्ज नहीं है तथा भूमिधारी तहसीलदार नांवा ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को गै0मु0रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता वर्षो पुराना रास्ता ढाणी तक जाता है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी में ही है। इस संबंध में राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 द्वारा ऐसे रास्तों को रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रास्ते का आदेश पारित किया है जो सही है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 में जनसुविधा को देखते हुए रास्ता दिये जाने के निर्देश है। रास्ते के उपयोग में

आने वाली भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियोजित पक्षकारों में से केवल दो पक्षकारों द्वारा ही अपील की है अन्य किसी भी पक्षकार को उक्त आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम राजलिया तहसील नांवा के खसरा नम्बर 179 रकबा 1.24 हैक्टर किस्म जाव–3/चाही–3, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.18 हैक्टर किस्म जाव–3/चाही–3, खसरा नम्बर 187 रकबा 1.08 हक्टर किस्म बारानी–1 प्रत्यक खसरा नम्बरान व रकबे में से 0.05 हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। पटवारी हलका राजलिया की मौका रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बरान में से मौके पर उक्त रास्ता मौके पर चल रहा है तथा ग्राम राजलिया की गोचर भूमि में आबादी भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 2.15 हैक्टर बड़ी रूलानिया की ढाणी तक शुरू से ही रास्ते के उपयोग में आ रहा है। विवादित भूमि खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 में ऐसे रास्तों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, की पलना में ही विवादित आराजियात में से गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, नांवा को आदेश दिये है साथ ही विवादित आराजियात संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही यथावत बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–03–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 बउनवान सरकार बनाम कुम्भाराम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर